न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण, जिला ब्यावर, राज.

पीठासीन अधिकारी : ज्योति पटेल, आर.जे.एस.

फौजदारी नियमित संख्या 52/2015

परिवादी :

राजकुमार पुत्र बंशीलाल, निवासी जैतारण, पुलिस थाना जैतारण, जिला ब्यावर

बनाम

अभियुक्त :

बुद्धाराम उर्फ बुधमल पुत्र पेमाराम, निवासी गरनिया फर्म तिरूपति तेल घाणी उद्योग के मालिक/मैनेजर गरनिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881

उपस्थित :

(1) श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता – वास्ते परिवादी।

(2) श्री राजूनाथ अधिवक्ता – वास्ते अभियुक्त।

निर्णय **दिनांक : 23.04.2026**

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी राजकुमार ने एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ''मुलजिम ने दिनांक 01.06.2008 को परिवादी राजकुमार से अपनी निजी व घरेलू आवश्यकतावश 1,00,000/–रूपये अक्षरे एक लाख रूपये उधार लिए थे। उक्त राशि परिवादी ने मुलजिम को उसी दिन उधार दी तथा मुलजिम ने इकरार किया कि उक्त राशि 06 माह में वापस लौटा देगा। परिवादी द्वारा मुलजिम से वापस उक्त राशि मांगने पर मुलजिम ने उक्त रूपये रोकड़ नहीं देकर दिनांक 01.12.2008 को 1,00,000/–रूपये अक्षरे एक लाख रूपये की राशि का चैक संख्या 429490 एसबीबीजे शाखा जैतारण का दिया एवं मुलजिम ने चैक में वर्णित समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कर परिवादी को कथन किया कि उक्त राशि को वह जरिये चैके के उठा लेवे एवं अपने हस्ताक्षर अपनी फर्म की मोहर लगाई थी। मुलजिम द्वारा परिवादी को प्रदत्त चैक को परिवादी ने वास्ते कलेक्शन एसबीबीजे शाखा जैतारण में पेश किया था तब शाखा प्रबंधक ने बाद जांच पाया कि मुलजिम के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। तब एसबीबीजे शाखा प्रबंधक ने चैक रिटर्न मीमो में यह कारण अंकित किया तब मुलजिम के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है एवं असल चैक मय रिटर्न मीमो के परिवादी को लौटा दिया। मुलजिम के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से परिवादी को प्रदत्त चैक का अनादरण हो गया है। जिसके संबंध में परिवादी ने अपने अधिवक्ता को कानूनी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया एवं एक नोटिस भी मुलजिम को दिनांक 12.01.2009 को भेजा जिसका भी न तो मुलजिम ने कोई जवाब दिया न ही परिवादी द्वारा

उधार दी गई राशि को ही लौटाया। मुलजिम ने परिवादी को अपने खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के बावजूद एक चैक दिया जिससे चैक अनादरण हो गया एवं मुलजिम ने छल कपट व धोखा करने की नियत से उक्त कृत्य किया है जो धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत एक दण्डनीय अपराध है। राशि, चैक देने की कार्यवाही अनादरण अदालत हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में ही संपन्न हुई है। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन किया कि मुलजिम के विरुद्ध 138 एन.आई. एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही कर चैक में वर्णित राशि 1,00,000/–अक्षरे एक लाख रूपए की दुगनी राशि 02,00,000/–रूपए अक्षरे दो लाख रूपए जुर्माना के रूप में मुलजिम पर आरोपित कर परिवादी को दिलावे एवं मुलजिम को दो वर्ष की अवधि के दण्डादेश से दंडित किया जावे। परिवाद के समर्थन में परिवादी ने शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजों के रूप में विवादित चैक, चैक अनादरण मीमो, विधिक नोटिस, डाक रसीद, पावती रसीद प्रस्तुत की।

02. अभियुक्त बुद्धमल उर्फ बुधमल के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रथमदृष्टया बनना पाए जाने पर दिनांक 18.06.2015 को प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया व अभियुक्त के उपस्थित आने पर दिनांक 02. 08.2018 को अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध बाबत् आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर आरोप से अस्वीकार कर अभियुक्त ने अन्वीक्षा चाही।

03. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए परिवादी राजकुमार ने स्वयं को मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 01 के तौर पर परीक्षित करवाया व **दस्तावेजी साक्ष्य** के रूप में प्रदर्श 01 असल चैक, प्रदर्श 02 चैक वापसी ज्ञापन, प्रदर्श 03 रिटर्न मीमो, प्रदर्श 03 अग्रेषण पत्र, प्रदर्श 05 विधिक नोटिस, प्रदर्श 06 रजिस्टर्ड डाक रसीद, प्रदर्श 07 प्राप्ति रसीद, प्रदर्श 08 इस्तगासा, प्रदर्श 09 शपथ पत्र प्रदर्शित करवाए गए।

04. परिवादी साक्ष्य की समाप्ति पर दिनांक 08.04.2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त को परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना, झूठा फंसाया जाना, चैक अमानत के तौर पर देना, उसके द्वारा संपूर्ण चैक की राशि अदा किये जाने का कथन किये। **साक्ष्य प्रतिरक्षा में** अभियुक्त द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं को डी.डब्ल्यू 01 के तौर पर परीक्षित करवाया व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 01 ए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति, प्रदर्श डी 02 एसबीआई शाखा का पत्र, प्रदर्श डी 3 सूचना पत्र, प्रदर्श डी 4 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग का पत्र, प्रदर्श डी 05 व 06 वाणिज्यिक कर विभाग पाली का पत्र एवं वेट फर्म दो, प्रदर्श डी 07 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रदर्श डी 08 व डी 09 फर्म जवतराज गौतमचंद बोहरा का बिल की प्रति, प्रदर्श डी 10सहमति पत्र, प्रदर्श डी 11जवाब नोटिस, प्रदर्श डी 12 उनवान बुद्धमल बनाम राजकुमार के इस्तगासा की प्रति, प्रदर्श डी 13 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 46/2010 की प्रति, प्रदर्श डी 14 परिवादी राजकुमार सुथार के पुलिस बयान की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श

डी 15 व 16 माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय जैतारण का आदेश दिनांक 07.12.2011 व 08.04.2019 की प्रति, प्रदर्श डी 17 विधि विज्ञान प्रयोगशाला को लिखित पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श डी 18 प्रकरण सं. 08/2016, 09/2016 सरकार बनाम बुधमल दिनांक 23.02.2017 के आदेश की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श डी 19 चैक रिटर्न मीमो को प्रदर्शित करवाए गए।

05. बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान **अधिवक्ता–परिवादी** ने कथन किये कि अभियुक्त बुधमल ने दिनांक 01.06.2008 को आपसी जान पहचान के आधार पर एक लाख रूपये उधार लिए थे तथा राशि लौटाने हेतु चैक संख्या 429490 दिनांक 01.12.2008 परिवादी के पक्ष में जारी किया। उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त राशि के कारण अनादरित हो गया तत्पश्चात विधिक नोटिस भेजा गया किंतु अभियुक्त ने भुगतान नहीं किया जिससे धारा 138 एन.आई.एक्ट का अपराध पूर्ण हुआ। अभियुक्त स्वयं चैक पर हस्ताक्षर स्वीकार करता है। अतः धारा 118 एवं 139 एक्ट के अंतर्गत वैधानिक उपधारणा परिवादी के पक्ष में लागू होती है। अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव कि चैक सिक्योरिटी हेतु अन्य व्यक्ति को दिया गया था असत्य एवं अविश्वसनीय है। अभियुक्त समय समय पर अपना बचाव बदलता रहा तथा उसके द्वारा प्रस्तुत कथन व दस्तावेज विश्वसनीय नहीं है। परिवादी ने अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेजों से ऋण एवं चैक जारी होना सिद्ध कर दिया है। इसलिए अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया। उक्त मौखिक दस्तावेज के समर्थन में परिवादी की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई जो संलग्न पत्रावली है।

06. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए **विद्वान् अधिवक्ता–अभियुक्त** ने अपनी बहस में कथन किये कि विवादित चैक परिवादी राजकुमार को किसी ऋण अदायगी हेतु जारी नहीं किया गया था बल्कि फर्म जवतराज के प्रतिनिधि प्रदीप कुमार विनोद कुमार जैन को तिल्ली व्यापार के सौदे में सिक्योरिटी चैक के रूप में दिया गया था। परिवादी वास्तविक धारक अथवा विधिसम्मत Payee सिद्ध नहीं हुआ है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत बैंक मीमो एवं दस्तावेजों को भी संदिग्ध एवं कूटरचित बताया गया है। अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रहा है कि परिवादी कथित एक लाख रूपये के ऋण के संबंध में कोई स्वतंत्र लेखा, दस्तावेज, आयकर विवरण या विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। कानूनी नोटिस एवं परिवाद में लेनदेन के आवश्यक तथ्य स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। अभियुक्त ने संभाव्य प्रतिरक्षा (Probable Defence) स्थापित कर दी है तथा धारा 139 की उपधारणा का सफलतापूर्वक खंडन कर दिया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया। अभियुक्त की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई तथा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए :–

01. Criminal Appeal No. 1012 of 1999, D/04.07.2026, M.S. Narayana Menon alias Mani vs State Of Kerala and Anr.
02. Criminal Revision No. 1689 of 2009(Against the Judgment in CRA 627 of 2005 of the Session Court, Kottayam) D/09.09.2016,K.K. Divakaran vs State Of

Kerala

03. Kerala High Court Criminal L.P. No. 108 of 2017
MuhammedBasheer Vs. Geetha

04. Supreme Court Of India, Criminal Appeal No. 261 Of 2013 (Arising Out of SLP (Criminal) 6761 of 2010 D/07-02-2013
Vjay Vs. Laxman & Anr.

05. AIR 2011 Supreme Court 1588
Criminal Appeal No.643 of 2011,(Arising Out of S.L.P. (Criminal No.) 3045 of 2008 D/03-03-2011
Milind Shripad Chandurkar VS. Kalim M. Khan & Anr.

06. Supreme Court Of India, Criminal Appeal No. 636 of 2019(Arising Out of S.L.P. (Criminal No.)8641 of 2018 D/09-04-2019
Basalingappa Vs. Mudibasappa

07. AIR 2023 Supreme Court Of India Cri. Appeal No. 1978 of 2013
Rajaram Srirmulu Naidu Vs. Maruthachalam

08. Supreme Court Of India Petition For Special Leave To Appeal (Criminal)M/S Rajco Steel Enterprises Vs Kavita Saraff And Another

09. Rajasthan High Court 899, Criminal Appeal No. 131of 2008, D/01.12.2012, Pramod Kumar Vs Arjun Kumar

10. S.B. Criminal Leave to App. No. 1/17
Chittorgarh Kendriya Sahkari Bank Ltd. Vs. Heera Singh

07. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

1. **क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.06.2008 को परिवादी से 1,00,000/– रूपये अक्षरे एक लाख रूपये 6 माह के लिए उधार प्राप्त किए एवं उक्त राशि वापस मांगने पर अभियुक्त ने उक्त राशि की विधिपूर्ण अदायगी हेतु परिवादी को अपने बैंक एसबीबीजे शाखा जैतारण का चैक संख्या 429490 तादादी राशि 1,00,000/– रूपये अक्षरे एक लाख रूपये दिनांक 01.12.2008 का दिया जिसे भुगतान प्राप्त करने हेतु परिवादी ने नियत समय अवधि में अपनी बैंक एसबीबीजे शाखा जैतारण में प्रस्तुत किया जो कि समाशोधन के दौरान अभियुक्त के बैंक खाता में पर्याप्त राशि नहीं होने से "पर्याप्त राशि नहीं है" की टिप्पणी के साथ अनादरित होकर परिवादी को मय रिटर्न मीमो प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी ने दिनांक 12.01.2008 को अभियुक्त को जरिये अधिवक्ता विधिक नोटिस प्रेषित कर चैकग्रस्त नोटिस प्रेषित कर चैकग्रस्त राशि की मांग की जो नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया जिसके बाद भी अभियुक्त ने परिवादी को चैकग्रस्त राशि का भुगतान नहीं कर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया गया?**
2. **यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी होगा?**

08. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर परिवादी पक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के क्रम में सर्वप्रथम उभय पक्षों में जान पहचान संबंधी तथ्यों का विवेचन किया जाना न्यायोचित है क्योंकि अभियुक्त द्वारा उक्त तथ्यों को प्रश्नगत किया गया है। उक्त तथ्य इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि अगर उभय पक्षों में ऐसी जान पहचान ही नहीं

हो कि परिवादग्रस्त संव्यवहार करने का अवसर ही संदेहपूर्ण हो जाए जिस क्रम में विधिक नोटिस, परिवाद पत्र एवं साक्ष्य शपथ पत्र को देखें तो परिवादी ने अभियुक्त से जान पहचान मित्रता या अन्य जानकारी बाबत जिस क्रम में रूपये उधार दिए उस बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किए अर्थात् उक्त बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं करना एवं एक पूर्णतः अनजान व्यक्ति को एक लाख रूपये उधार दे देना प्रकृति के सामान्य अनुक्रम व साधारण मानवीय घटनाक्रम में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते।

अब अगर परिवादी से अभियुक्त की ओर से की गई जिरह को देखें तो अभियुक्त द्वारा जिरह में उक्त तथ्यों को प्रश्नगत किया गया जिसमें परिवादी ने '' आरोपी बुधमल उर्फ बुधाराम को वर्ष 2006 से जानना, आरोपी बुधमल से सामान्यतः
जैतारण में कई बार मिलते रहना, उस दौरान आपस में कौन–कौन आदमी थे याद नहीं होना, परिवाद में बुधमल से मिलना जुलना लिखा होना, बुधमल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं स्पष्ट रूप से मालूम नहीं होना, बुधमल के पिता जी का क्या नाम है याद नहीं होना, बुधमल के निम्बोला वाले घर आकर रूपये वापस मांगना, बुधमल का घर जानना जो कौन से मोहल्ले में नहीं जानना बताया''। इस प्रकार परिवादी ने जिरह में भी अभियुक्त से जान पहचान उसके परिवार के सदस्यों, निवास एवं यहां तक की अभियुक्त के पिता का नाम भी याद नहीं होना बताकर अभियुक्त से सामान्य जान पहचान भी स्थापित नहीं की जिससे कि अभियुक्त व परिवादी को परिवादग्रस्त संव्यवहार करने का अवसर प्राप्त रहा हो यह तथ्य संदेहपूर्ण हो जाता है।

अब अगर अभियुक्त द्वारा चैकग्रस्त राशि उधार मांगने, परिवादी द्वारा देने, उसके प्रयोजन स्थान, परिवादी द्वारा रूपये वापस मांगने, उसके स्थान, चैक दिए जाने व महत्वपूर्ण रूप से चैक में वर्णित धारक के नाम इत्यादि तथ्यों की बात करें तो परिवादी ने डिमांड नोटिस, परिवाद पत्र एवं साक्ष्य शपथ पत्र में ''अभियुक्त द्वारा अपनी निजी एवं घरेलू आवश्यकता हेतु दिनांक 01.06.2008 को एक लाख रूपये 06 माह में लौटाने बाबत कहकर उधार लेना, उक्त राशि वापस मांगने पर रूपये रोकड़ नहीं देकर दिनांक 01.12.2008 का परिवादग्रस्त चैक उसकी समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कर अपने हस्ताक्षर कर अपनी फर्म की मोहर लगाकर देना अंकित किया।'' उक्त तथ्यों बाबत अगर परिवादी द्वारा जिरह में किए गए कथनों को देखें तो जहां परिवादी ने नोटिस परिवाद व साक्ष्य शपथ पत्र में अभियुक्त द्वारा रूपये उधार लेने का कारण निजी व घरेलू आवश्यकता होना बताया वहीं जिरह में बताया कि ''बुधमल ने बाजार से तिल्ली वगैरह खरीदने का कहकर रूपये की आवश्यकता होने से मेरे से एक लाख रूपये उधार लिए थे।'' उक्त कथनों से वह आवश्यकता ही संशयपूर्ण हो जाती है जिस हेतु रूपये उधार मांगे गए हो एवं परिवादी द्वारा दिए गए हों। अब अगर परिवादी द्वारा जिरह में किए गए उक्त कथनों को सही मानते हुए रूपये उधार प्राप्त करना माने तो रूपये व्यापारिक प्रयोजनार्थ अर्थात् फर्म तिरूपति तेल घाणी उद्योग के प्रोपराइटर की हैसियत से अभियुक्त की प्राप्त किए एवं जिस क्रम में चैक प्रदर्श पी. 01 पर सील लगी है। ऐसे में फर्म प्रकरण में पक्षकार नहीं है न ही फर्म के

क्रम में कोई नोटिस दिया गया। जिस कारण परिवादी व अभियुक्त के मध्य चैक बाबत संव्यवहार, चैक प्रदान करना व प्राप्ति संशयपूर्ण हो जाती है।

इसी क्रम में परिवादी द्वारा अभियुक्त को रूपये देने के समय अन्य लोगों की उपस्थिति, रूपये देने के स्थान, अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक देने के स्थान, उसके ब्याज इत्यादि तथ्यों की बात करें तो परिवादी ने डिमांड नोटिस, परिवाद पत्र व साक्ष्य में रूपये देने की दिनांक 01.06.2008 अंकित की व जिरह में एक स्थान पर दिनांक 01.06.2008 बताई लेकिन दिनांक 18.03.2025 में की गई जिरह में साल 2006 में अभियुक्त द्वारा रूपये उधार लेना बताया जो संशयपूर्ण की स्थिति उत्पन्न करता है। अब अगर रूपये उधार दिए जाने के समय अन्य लोगों की उपस्थिति की बात करें तो परिवादी ने डिमांड नोटिस परिवाद व साक्ष्य शपथ पत्र में इस बाबत कोई अंकन नहीं किया। दिनांक 01.10.2024 को की गई जिरह में परिवादी ने कहा कि ''राशि मैंने अपनी दुकान पर बुधमल की दी थी उस दौरान पास में कौन–कौन थे आज याद नहीं'' अर्थात् उक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि अगर परिवादी द्वारा अभियुक्त को चैकग्रस्त राशि उधार देना मानें तो उस समय अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे लेकिन वे कौन–कौन थे परिवादी को याद नहीं लेकिन इसी क्रम में परिवादी ने उक्त दिनांक को ही जिरह में रूपये देते समय बुधमल के अलावा अन्य कोई व्यक्ति पास मौजूद नहीं होना बताया। परिवादी जिरह में यह भी बताने में असफल रहा कि नोट कितने–कितने के थे।

अब अगर परिवादी के कथनों के क्रम में अभियुक्त द्वारा चैक दिए जाने संबंधी तथ्यों की बात करें तो परिवादी ने जिरह में अभियुक्त के निम्बोला वाले घर आकर रूपये वापस मांगने पर परिवादग्रस्त चैक देना बताया लेकिन निम्बोला गांव में अभियुक्त का घर किस मोहल्ले में स्थित है। इस बाबत जानकारी से परिवादी ने इंकार किया जो यह दर्शाता है कि परिवादी अभियुक्त का वह निवास स्थान/घर नहीं जानता जहां चैक देना बताया गया। ऐसे में अभियुक्त द्वारा परिवादी को परिवादग्रस्त चैक दिया जाना संशयपूर्ण हो जाता है। उक्त संशय इस कारण भी उत्पन्न होता है कि अगर अभियुक्त ने परिवादी को निम्बोला वाले घर पर चैक दिया तो विधिक नोटिस उक्त पते पर प्रेषित क्यों नहीं किया गया व व्यवसाय के पते पर ही निवास बताकर जो कि गरनिया में स्थित है पर क्यों दिया गया वह भी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं बल्कि फर्म मालिक/मैनेजर के तौर पर। उक्त तथ्यों से न केवल चैक का परिवादी के पास आना संशयपूर्ण होता है बल्कि चैकग्रस्त राशि उधार देने का प्रयोजन व उक्त क्रम में फर्म को पक्षकार नहीं बनाना भी परिवाद की पोषणीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। इसी क्रम में चैकग्रस्त राशि बाबत अन्य तथ्यों की बात करें तो परिवादी ने डिमांड नोटिस, परिवाद पत्र, साक्ष्य शपथ पत्र व मुख्य परीक्षा में कहीं यह अंकित नहीं किया कि उसने ब्याज पर राशि उधार दी हो एवं जिरह में यह बताया कि दो रूपये प्रतिसैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज पर राशि उधार दी व चैक अभियुक्त ने एक लाख रूपये का ही दिया व ब्याज राशि बाद में नकद देने को कहा जो कि उक्त कथन प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते व परिवादी के कथानक पर संशय

उत्पन्न करते हैं।

हस्तगत प्रकरण में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभियुक्त का उज्र रहा है कि चैक प्रदर्श पी. 01 में धारक का नाम गजकुमार सुथार अंकित है न कि परिवादी का नाम। जिस क्रम में जिरह में तो परिवादी ने स्वयं का नाम ही प्रदर्श पी. 01 में अंकित होना बताया लेकिन उक्त क्रम में चैक प्रदर्श पी. 01 को देखें तो देखने से सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की दशा में स्पष्ट होता है कि चैक प्रदर्श पी. 01 में राजकुमार सुथार नाम अंकित हो यह संशयपूर्ण है फिर किस आधार पर बैंक द्वारा चैक के धारक का नाम राजकुमार माना गया व उसे परिवादी को अनादरित कर दिया गया। इस बाबत बैंक अधिकारी की साक्ष्य भी परिवादी ने पेश नहीं की। ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार चैक प्रदर्श पी. 01 के धारक का नाम भी संशयपूर्ण हो जाता है।

उक्त तथ्यों के क्रम में अभियुक्त की बचाव साक्ष्य को देखें तो अभियुक्त ने स्वयं को बचाव साक्ष्य के तौर पर परीक्षित करवाया व मुख्य रूप से परिवादग्रस्त चैक परिवादी को नहीं देकर फर्म जवतराज गौतमचंद बोहरा के प्रदीप कुमार व विनोद कुमार को अन्य चैकों के साथ माल खरीद के क्रम में सिक्योरिटी पेटे देना रहा। जिस क्रम में उक्त बाबत सहमति पत्र का प्रदर्श डी 10 प्रदर्शित करवाया साथ ही उक्त क्रम में प्रदर्श डी 18 प्रदर्शित करवाया जिनका अवलोकन करें तो अभियुक्त के उक्त आधार की अभियुक्त द्वारा परिवादग्रस्त चैक परिवादी को देना प्रदर्श डी 10 से दर्शित होता है तथा उक्त प्रदर्श डी 10 पर उक्त फर्म के प्रदीप कुमार व विनोद कुमार के हस्ताक्षर न हो ऐसा प्रदर्श डी 18 से दर्शित नहीं होता है। जिस क्रम में अभियुक्त जिरह में भी विचलित नहीं हुआ व प्रदर्श डी 10 व प्रदर्श डी 18 के क्रम में ही कथन किए तथा परिवादग्रस्त चैक परिवादी को नहीं देना, परिवादी से चैकग्रस्त राशि या अन्य कोई राशि उधार प्राप्त नहीं करना बताकर परिवादी की साक्ष्य व अपनी साक्ष्य से संभावना बाहुल्य द्वारा व अन्यथा प्रकरण बाबत संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा।

09. इस प्रकार उपर्युक्त समग्र विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध उभयपक्षों की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त संभावना बाहुल्य द्वारा व अपनी साक्ष्य से अभियुक्त परिवादी द्वारा अभियुक्त को चैकग्रस्त राशि उधार देने, अभियुक्त द्वारा परिवादग्रस्त चैक देने, चैक के धारक का नाम, परिवादी व अभियुक्त के संबंधों, निवास स्थान व उस क्रम में परिवादग्रस्त संव्यवहार करने का अवसर प्राप्त होना, चैक फर्म की हैसियत में जारी होने व प्रयोजन जिस बाबत परिवादी रूपये उधार लेना कहता है उस तथ्यों बाबत गंभीर संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है। जिस कारण अभियुक्त को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

10. परिणामतः **बुद्धाराम उर्फ बुधमल पुत्र पेमाराम, निवासी गरनिया फर्म तिरूपति तेल घाणी उद्योग के मालिक/मैनेजर गरनिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त की पूर्व नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 20,000/–रुपये का जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका इस आशय का पेश करें कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(ज्योति पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर

11. उक्त निर्णय आज **दिनांक 23.04.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन सुनाया गया।

(ज्योति पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर